

को पेश हो। ✍

05/01/25

पत्राण पेश हुरी। वाही वकील उपर। शेष प्रतिवादीगण  
की तयनी हेतु मौफा चाहा गया पूर्व में अनेक  
अवसर दिये जा चुके हैं और अवसर दिया  
जाना न्यायोचित नहीं है। अतः पत्र अदम  
पैरवी इसी स्तर पर खारिज की जाती है।  
पत्राण कैसन शुमार लेकर दाखिल दफ्तर  
हो। ✍

